

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस विज्ञप्ति
(संशोधित)

एतद् द्वारा राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "बिहार जिला परिषद्-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2014" एवं "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2014" के आलोक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक एवं अप्रशिक्षित शिक्षक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं इन्हीं कोटि के महिला अभ्यर्थी) के नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु विभागीय पत्रांक 551, दिनांक 19.05.14 द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में संशोधनोपरान्त संशोधित निम्न समय-तालिका के अनुसार संबंधित नियोजन इकाईओं को निम्न निदेश दिया जाता है :-

क्र.	जिलों का नाम	नगर निकाय (नगर निगम/नगर पंचायत एवं नगर परिषद्) हेतु कैम्प आयोजन की तिथि	जिला परिषद् अन्तर्गत नियोजन की तिथि	नगर निकाय (नगर निगम/नगर पंचायत एवं नगर परिषद्) हेतु कैम्प आयोजन की तिथि	जिला परिषद् अन्तर्गत नियोजन की तिथि
		उच्च माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	माध्यमिक
1	पटना, किशनगंज, बाँका, मधुबनी, सिवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चम्पारण एवं रोहतास।	26.05.14	28.05.14	14.06.14	16.06.14
2	नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा एवं वैशाली।	30.05.14	02.06.14	18.06.14	20.06.14
3	गया, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण एवं नवादा।	04.06.14	06.06.14	23.06.14	25.06.14
4	पूर्णियाँ, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय एवं जमुई।	09.06.14	11.06.14	27.06.14	30.06.14

1. नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत का कैम्प जिलास्तर पर आहूत किया जायेगा।
2. प्रथम से चतुर्थ समव्यवहार (कैम्प) के उपरान्त पद रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा अंतिम वर्तमान समव्यवहार में मेधा सूची में कोटिवार न्यून मेधा क्रम के अवशेष सभी अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि/कैम्प के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।
3. उपर्युक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए आयोजित होने वाले तिथि/कैम्प की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा। नियोजन इकाईवार मेधा सूची, कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति की सूचना तथा कैम्प स्थल की सूचना जिले के NIC के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

4. रिक्त पदों के अन्तर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो इस नियोजन के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरान्त पद छोड़ कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिया गया हो। ऐसा पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोड़ा हो।
5. नियोजन हेतु कैम्प में अभ्यर्थी STET उत्तीर्णता एवं शैक्षिक/प्रशैक्षिक से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी का नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व उनका STET का मूल प्रमाण-पत्र जमा कर लिया जाएगा।
6. नियोजन पत्र का वितरण कैम्प दिवस पर ही कर दिया जाय। नियोजन पत्र का सम्प्रेषण हाथों-हाथ अथवा निबंधित डाक के द्वारा किया जायेगा। नियोजन की प्रक्रिया का विडियोग्रफी करायी जायेगी।

एतद् द्वारा हितबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।

सभी नियोजन इकाईओं के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को सम्पन्न की जाय ताकि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की उपलब्धता हो सके। संबंधित नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं करने की स्थिति में नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दी जायेगी।

नियोजन इकाई द्वारा सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। नियोजन से संबंधित नियमावली, विस्तृत निदेश एवं प्रपत्र आदि विभागीय वेब-साईट www.educationbihar.gov.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

(अमरजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक:

अमरजीत सिन्हा,
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक27...मई, 2014

विषय : अधिसूचित नियुक्ति नियामवली 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) के आलोक में जिलावार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु कैम्प आयोजन का कार्यक्रम के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 556, दिनांक 20.05.14

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा प्रथम से चतुर्थ समव्यवहार के उपरान्त अवशेष रिक्ति के विरुद्ध अंतिम समव्यवहार (कैम्प) अंतर्गत नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। समीक्षोपरान्त प्रेषित कार्यक्रम में निम्नवत् संशोधन किया जाता है।

राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "बिहार जिला परिषद्-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2014" एवं "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2014" के आलोक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक एवं अप्रशिक्षित शिक्षक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं इन्हीं कोटि के महिला अभ्यर्थी) के नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

क्र.	जिलों का नाम	नगर निकाय (नगर निगम/नगर पंचायत एवं नगर परिषद) हेतु कैम्प आयोजन की तिथि	जिला परिषद अन्तर्गत नियोजन की तिथि	नगर निकाय (नगर निगम/नगर पंचायत एवं नगर परिषद) हेतु कैम्प आयोजन की तिथि	जिला परिषद अन्तर्गत नियोजन की तिथि
		उच्च माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	माध्यमिक
1	पटना, किशनगंज, बाँका, मधुबनी, सिवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चम्पारण एवं रोहतास।	26.05.14	28.05.14	14.06.14	16.06.14

2	नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा एवं वैशाली।	30.05.14	02.06.14	18.06.14	20.06.14
3	गया, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण एवं नवादा।	04.06.14	06.06.14	23.06.14	25.06.14
4	पूर्णियाँ, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय एवं जमुई।	09.06.14	11.06.14	27.06.14	30.06.14

विभागीय पत्रांक 556, दिनांक 20.05.14 में निहित शेष निदेश यथावत् रहेगा।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरमजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव,

शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक ११ मई, 2014

ज्ञापांक : 11/वि 1-50/2013 568

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

20/5/14